डॉ0 एन0 सरवण कुमार,भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 07.04.2013 को सम्पन्न लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम से संबंधित कार्यशाला की कार्यवाही।

....

उपस्थिति :– यथा पंजी संधारित।

कार्यवाही :–

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा बैठक प्रारंभ करते हुए कहा गया कि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम से संबंधित प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को आयोजित किए जाने वाला यह माह अप्रैल,2013 का कार्यशाला है। इससे पूर्व आयोजित कार्यशाला में आपकी समस्याओं को सुना गया था तथा उसके निदान हेतु कार्यशाला में निर्णय लिए गए थे। सम्पन्न कार्यशाला की कार्यवाही अनुपालन हेतु आपको भेजी गई थी। आशा की जाती है कि आपलोग सरकार के इस महत्वकांक्षी योजना में शत–प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने की कार्रवाई एवं आम जनता की समस्याओं का निपटारा किया होगा। सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य है कि इसके तहत आने वाले सेवाओं में आम जनता को सेवा प्रदान करने में कोई दिक्कत, परेशानी का सामना न करना पड़े। यदि कोई समस्या है तो उसे दूर किए जाने के लिए कार्यशाला आयोजित की जाती है।

विगत माह में सूचना प्रौद्योगिकी सहायक एवं कार्यपालक सहायक द्वारा आवेदन के साथ मोबाईल नम्बर लेना, सिंक्रोनाईजेशन का कार्य ससमय करने का में अच्छी उपलब्धि हासिल किया है तथा उनका कार्य सराहनीय रहा है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। आशा की जाती है की इस उपलब्धि को वे बनाए रखेंगे। इस योजना में गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि आम जनता का आवेदन काउण्टर में आने के उपरान्त निर्धारित समय–सीमा के अन्दर उन्हें सुलभ तरीके से निष्पादन करें।

उन्होंने यह भी बताया कि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत अंचल स्तर पर किए जा रहे कार्यो की जाँच हेतु जिला स्तर से छापामारी के लिए पदाधिकारियों को औचक निरीक्षण हेतु आदेश दिया जा रहा है, जो काउण्टर के अन्दर आवेदन लेना, उसके रख–रखाव, ऑन लाईन करने की प्रक्रिया, लंबित आवेदनों/ अस्वीकृत आवेदनों की समीक्षा, निर्धारित समय पर प्रमाण पत्र संबंधित व्यक्ति को उपलब्ध कराना आदि कार्यो की गहन जाँच करेंगे। यह योजना सरकार की नं0–1 योजना होने के कारण हमारा एवं आपका भी नं0–1 योजना होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त

नहीं की जाएगी। इस योजना के तहत शत–प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो बैठक में रखें।

निम्नांकित के द्वारा समस्या/कठिनाई बताया गया, जो इस प्रकार है :–

- श्री चन्देल पटेल, कार्यपालक सहायक, पुनपुन ने बताया कि आवेदन प्राप्त होने के बाद कर्मचारी समय पर प्रतिवेदन नहीं देते हैं जिसके कारण प्रमाण पत्र देने में विलम्ब होता है। अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि सभी हल्का कर्मचारी को ससमय प्रतिवेदन देने हेतु हिदायत दें।
- श्री मनीष कुमार ठाकुर, सूचना प्रौद्योगिकी सहायक, बेलछी द्वारा बताया गया कि वहाँ इन्टरनेट काम नहीं करता है।
- सूचना प्रौद्योगिकी सहायक, घोसवरी ने बताया कि जेनरेटर नहीं चलने के कारण कार्य में बाधा होती है। अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि इस कार्य हेतु जेनरेटर की सेवा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- अंचलाधिकारी, दुल्हिन बाजार ने बताया कि दो लिपिक धान अधिप्राप्ति केन्द्र पर प्रतिनियुक्त हैं तथा एक लिपिक बराबर भागे रहते हैं जिसके कारण कार्यालय के कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। इन्होंने लिपिक की प्रतिनियुक्ति का अनुरोध किया। नोडल पदाधिकारी–सह–स्थापना उप समाहर्ता, पटना को निदेशित किया गया कि अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग करें कि उस लिपिक के विरूद्ध उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई।
- अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ ने बताया कि राजस्व कर्मचारी का 8 स्वीकृत पद के विरूद्ध मात्र 5 कार्यरत हैं जिसके कारण लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों के प्रतिवेदन में विलम्ब होता है। उन्होंने राजस्व कर्मचारी के पदस्थापन का अनुरोध किया। उन्हें निदेशित किया गया कि जब तक पदस्थापन नहीं हो जाता है तब तक कार्यरत कर्मी को पूर्ण क्रियाशील बनाए।
- सूचना प्रौद्योगिकी सहायक, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पटना ने बताया कि जगह की कमी है तथा काउण्टर के आगे शेड भी नहीं है। बड़ा कमरा एवं काउण्टर के आगे शेड निर्माण हेतु संबंधित पुलिस उपाधीक्षक को सूचना दी गई है। नोडल पदाधिकारी–सह–स्थापना उप समाहर्ता को निदेश दिया गया कि इस हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को पत्र लिखा जाय।

- श्री इबरार अहमद खां, वरीय उप समाहर्ता, पटना ने बताया कि तैयार किए गए प्रमाण पत्रों को वितरण करने की समस्या होती है। अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि इस कार्य में पारदर्शिता बरतें।
- जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि पटना सदर अंचल में छापामारी हुई थी। उक्त छापामारी के समय बिचौलियों का दबदबा था। अंचलाधिकारी, पटना सदर ने बताया कि अब ऐसी कोई शिकायत नहीं है।
- श्री मनोरंजन कुमार, वरीय उप समाहर्ता, पटना ने बताया कि धनरूआ में दाखिल खारिज एवं अन्य मामले में बिना कारण के आवेदन अस्वीकृत किए गए एवं आवेदन लंबित रखे गए। नोडल पदाधिकारी–सह–स्थापना उप समाहर्ता ने बताया कि प्रतिवेदन मांगा गया है जो अप्राप्त है। अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी ने बताया कि प्रतिवेदन भेजा जा चुका है। नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित करें।
- कार्यपालक सहायक, बाढ़ ने बताया कि छः माह से कार्य कर रहे हैं, मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि आवंटन नहीं है। नोडल पदाधिकारी ने बताया कि जहाँ से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त है उन्हें फरवरी तक आवंटन सभी को भेजा जा चुका है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने यह भी बताया कि पहले इनका यू0पी0एस0 खराब था, अब मोनिटर खराब रहने के कारण कार्य नहीं हो पाता है। नोडल पदाधिकारी –सह–स्थापना उप समाहर्ता को निदेश दिया गया कि संबंधित कार्यपालक सहायक को सेवामुक्त करने का पत्र निर्गत करें।
- अंचलाधिकारी, पटना सदर ने एक सूचना प्रौद्योगिकी सहायक एवं दो कार्यपालक सहायक की प्रतिनियुक्ति का अनुरोध किया तथा मानदेय भुगतान हेतु आवंटन की मांग की। नोडल पदाधिकारी ने बताया कि चेक के माध्यम से आवंटन भेजा जा चुका है। नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि एक सूचना प्रौद्योगिकी सहायक एवं दो कार्यपालक सहायक की प्रतिनियुक्ति हेतु पत्र निर्गत किया जाय।

जिलाधिकारी द्वारा RTPS के कार्यान्वयन में निम्नांकित बिन्दुओं को **Non-negotiable** बताते हुए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बतायी गई :–

- लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत जितने तरह की सेवा उपलब्ध करना है उससे संबंधित कार्य RTPS अधिनियम के तहत ही होना चाहिए। इसकी कोई Parallel system नहीं होना चाहिए।
- किसी भी परिस्थिति में बिचौलियों की सहभागिता समाप्त होनी चाहिए। RTPS Counter/ कार्यालय में बिचौलिया पकड़े जाने की स्थिति में इसकी सारी जिम्मेवारी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी पर होगी।
- रिश्वत की सूचना मिलने पर अधोहस्ताक्षरी स्वयं छापामारी एवं निगरानी द्वारा ट्रैप कराने की कार्रवाई करायेंगे। रिश्वत लेने की शिकायत किसी भी परिस्थिति में नहीं आनी चाहिए।
- RTPS काउण्टर के माध्यम से ही आवेदन प्राप्त किए जाए एवं सेवा भी काउण्टर के माध्यम से ही उपलब्ध कराए जाय।
- लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम का काउण्टर से संबंधित नोटिस बोर्ड लगाए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित करना जिसमें यह उल्लेख रहे–
    - किसी को रिश्वत न दें।
    - समय–सीमा के अन्तर्गत सेवा प्राप्त करें।
    - समय–सीमा के अन्तर्गत सेवा नहीं मिल रहा है तो अपील में जाय।

श्री आदित्य कुमार, सूचना प्रौद्योगिकी सहायक, अवर निबंधन कार्यालय, पटना सिटी एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहायक, पंडारक बैठक में विलम्ब से उपस्थित हुए। नोडल पदाधिकारी–सह–स्थापना उप समाहर्ता, पटना इस हेतु स्पष्टीकरण प्राप्त करें।

लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी परिस्थिति में बिचौलियों की मनमानी को समाप्त करना, बिना परेशानी के आम जनता को ससमय सेवा उपलब्ध कराना, बिना रिश्वत लिए राजस्व कर्मी प्रतिवेदन दें, इसे सुनिश्चित करना अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही है। अंचलाधिकारी अच्छी गणवत्ता वाली कार्ट्रिज एवं स्टेशनरी की आपूर्त्ति सुनिश्चित करेंगे ताकि कार्य में किसी तरह की कठिनाई उत्पन्न न हो।

इस माह से व्यापक छापामारी होगी, अतः अनुमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी अंचलों में लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के आलोक में कार्य सुचारू रूप से हो, ऐसा सुनिश्चित करेंगे और जो समस्याएं आती है उसका समाधान त्वरित गति से करेंगे।

जिलाधिकारी द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, आई० टी० मैनेजर, सूचना प्रौद्योगिकी सहायक, कार्यपालक सहायक टीम भावना बनाकर आपसी समन्वय स्थापित करते हुए लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत आम जनता के हित में कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। उन्हें यह भी निदेशित किया गया कि अनुमंडल स्तर पर बिश्वान का नोडल पदाधिकारी हैं। जहाँ इन्टरनेट की असुविधा है वहाँ के लिए बिश्वान का कनेक्शन अनुमंडल स्तर से प्राप्त कर लें।

कोई भी सूचना प्रौद्योगिकी सहायक, कार्यपालक सहायक को परीक्षा देना हो तो इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारी को देते हुए आई०टी०मैनेजर को भी सूचित करेंगे।

अन्त में सधन्यवाद कार्यशाला की कार्रवाई समाप्त की गयी।

ह०/-
(डॉ० एन० सरवण कुमार)
जिलाधिकारी, पटना।

ज्ञापांक XI.J.k2/13-1261/स्था० पटना, दिनांक– 12/4/13

प्रतिलिपि– वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना प्रमंडल, पटना/अपर समाहर्ता, पटना/अपर जिला दंडाधिकारी (सामान्य), पटना/स्थापना उप समाहर्ता–सह–नोडल पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना जिला/जिला अवर निबंधक, पटना/वाणिज्यकर पदाधिकारी, पटना/जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना/नजारत उप समाहर्ता, पटना/सभी वरीय उप समाहर्ता, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग, पटना/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पटना जिला/सभी अंचलाधिकारी, पटना जिला/जिला आई०टी० प्रबंधक, पटना/ सभी सूचना प्रौद्योगिकी सहायक, पटना जिला/सभी कार्यपालक सहायक, पटना जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी, पटना।